



राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर

कमॉक:- प.2 (सब)4123/आ.कृ./ग्रुप-9/

दिनांक

कार्यालय आदेश

श्री पूरनमल माली जो सहायक कृषि अधिकारी के रूप में संयुक्त निदेशक उद्यान सी.ओ.ई झालावाड में कार्यरत है को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर दिनांक 31.12.2020 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री पूरनमल माली के विरुद्ध:-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।

उक्त आदेश आयुक्त कृषि महोदय से अनुमोदित है ।

(सीताराम जाट)

संयुक्त निदेशक, कृषि (प्रशासन)

कमॉक:- प.2 (सब)4776/आ.कृ./ग्रुप-9/12153-58 दिनांक 20-11-2020
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1- निदेशक पेंशन विभाग, जयपुर ।
- 2- आयुक्त उद्यान विभाग जयपुर ।
- 3- संयुक्त निदेशक उद्यान सी.ओ.ई झालावाड ।
- 4- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मु0 जयपुर ।
- 5- श्री पूरनमल माली सहायक कृषि अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक उद्यान सी.ओ.ई झालावाड ।
- 6- निजी पंजिका ।

(उदयभान सिंह)

उप निदेशक कृषि (प्रशासन)



राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- प.2 (सब)जी-39/आ.कृ./ग्रुप-9/

दिनांक

कार्यालय आदेश

श्री वासुदेव शर्मा जो सहायक कृषि अधिकारी के रूप में सहायक निदेशक उद्यान दौसा में कार्यरत है को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर दिनांक 28.02.2021 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री वासुदेव शर्मा के विरुद्ध:-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।

उक्त आदेश आयुक्त कृषि महोदय से अनुमोदित है।

(सीताराम जाट)

संयुक्त निदेशक, कृषि (प्रशासन)

क्रमांक:- प.2 (सब)जी-39/आ.कृ./ग्रुप-9/12126-31

दिनांक 19/11/2020

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1- निदेशक पेंशन विभाग, जयपुर ।
- 2- आयुक्त उद्यान विभाग जयपुर।
- 3- सहायक निदेशक उद्यान दौसा।
- 4- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मु0 जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 5- श्री वासुदेव शर्मा सहायक कृषि अधिकारी, कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि) गिर्वा ।
- 6- निजी पंजिका ।

(उदयभान सिंह)

उप निदेशक कृषि (प्रशासन)



राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर
क्रमांक:- प.2 (सब)1815/आ.कृ./गुप-9/ दिनांक

कार्यालय आदेश

श्री जवाहर लाल बघेल जो सहायक कृषि अधिकारी के रूप में सहायक निदेशक कृषि (वि) भरतपुर में कार्यरत थे, अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर दिनांक 31.12.2015 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गये थे ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री जवाहर लाल बघेल के विरुद्ध:-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील)नियम,1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।


उक्त आदेश आयुक्त कृषि महोदय से अनुमोदित है।

(सीताराम जाट)
संयुक्त निदेशक,कृषि (प्रशासन)

क्रमांक:- प.2 (सब)1815/आ.कृ./गुप-9/ 12146-52 दिनांक 19/11/2020

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1- निदेशक पेंशन विभाग, जयपुर ।
- 2- संयुक्त निदेशक कृषि (ति.) भरतपुर खण्ड भरतपुर ।
- 3- उप निदेशक कृषि (वि) जिला परिषद भरतपुर ।
- 4- सहायक निदेशक कृषि (वि) भरतपुर ।
- 5- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मु0 जयपुर।
- 6- श्री जवाहर लाल बघेल सहायक कृषि अधिकारी, कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि) भरतपुर ।
- 7- निजी पंजिका ।


(उदयभान सिंह)
उप निदेशक कृषि (प्रशासन)

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- प.2 (सब)जी-39/आ.कृ./गुप-9/

दिनांक

कार्यालय आदेश

श्री उमेश चन्द्र पचौरी जो सहायक कृषि अधिकारी के रूप में सहायक निदेशक कृषि (वि) गिरवा में कार्यरत है को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर दिनांक 31.12.2020 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री उमेश चन्द्र पचौरी के विरुद्ध:-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।

उक्त आदेश आयुक्त कृषि महोदय से अनुमोदित है ।

(सीताराम जाट)

संयुक्त निदेशक, कृषि (प्रशासन)

दिनांक 19/11/2020

क्रमांक:- प.2 (सब)जी-39/आ.कृ./गुप-9/12/32-38

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1- निदेशक पेंशन विभाग, जयपुर ।
- 2- संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) उदयपुर खण्ड उदयपुर ।
- 3- उप निदेशक कृषि (वि) जिला परिषद उदयपुर ।
- 4- सहायक निदेशक कृषि (वि) गिरवा ।
- 5- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मु0 जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
- 6- श्री श्री उमेश चन्द्र पचौरी सहायक कृषि अधिकारी, कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि) गिरवा ।
- 7- निजी पंजिका ।

(उदयभान सिंह)

उप निदेशक कृषि (प्रशासन)

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- प.2 (सब)3957/आ.कृ./गुप-9/

दिनांक

कार्यालय आदेश

श्री गोपाल लाल सुखवाल जो सहायक कृषि अधिकारी के रूप में सहायक निदेशक कृषि (वि) कोटडी में कार्यरत थे, अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर दिनांक 30.06.2020 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री गोपाल लाल सुखवाल के विरुद्ध:-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

उक्त आदेश आयुक्त कृषि महोदय से अनुमोदित है।

(सीताराम जाट)

संयुक्त निदेशक, कृषि (प्रशासन)

क्रमांक:- प.2 (सब)3957/आ.कृ./गुप-9/12139-45

दिनांक 19/11/2020

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1- निदेशक पेंशन विभाग, जयपुर।
- 2- संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) भीलवाडा खण्ड भीलवाडा।
- 3- उप निदेशक कृषि (वि) जिला परिषद भीलवाडा।
- 4- सहायक निदेशक कृषि (वि) कोटडी।
- 5- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मु0 जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 6- श्री गोपाल लाल सुखवाल सहायक कृषि अधिकारी, कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि) कोटडी।
- 7- निजी पंजिका।

(उदयभान सिंह)

उप निदेशक कृषि (प्रशासन)